तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टि0ए0 / 3408 / 2004 / भरतपुर गेन्दा बनाम प्रेमचंद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-10-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थित–** श्री जे0के0 पारीक, अधिवक्ता प्रार्थी श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी 3 से 6 **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 230, के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी, भरतपुर द्वारा दिनांक 01–07–2004 को प्रकरण संख्या 474/2002 शीर्षक प्रेमचन्द बनाम उत्तम सिंह में पारित निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी गई। प्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वादी/गैर निगराकार संख्या–1, 2 द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 के तहत ग्राम श्रीनगर की आराजी खसरा नम्बरान 915 एवं 915/1744, 918 एवं 917 मिन के सम्बन्ध में (गैर निगराकार संख्या 1 से 9 को असल प्रतिवादी एवं निगराकारान को तरतीबी प्रतिवादीगण) बनाते हुये प्रस्तुत किया। तरतीबी प्रतिवादीगण/निगराकारान की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उन्हें वादपत्र में प्रतिवादीगण के स्थान पर वादीगण के रुप में प्रतिस्थापित (Transpose) किया जाए। अधीनस्थ न्यायलाय ने अविधिक रुप से इस आवेदन को खारिज किया है। योग्य अधिवक्ता का कथन रहा है कि वादी एवं प्रार्थीगण के हित समान हैं और वादी वाद की पैरवी करने में शिथिलता बरत रहा है, अतः विचाराधीन वादपत्र में प्रार्थीगण को वादी के रुप में प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने नॉन रीजण्ड व नॉन स्पीकिंग निर्णय से प्रार्थीगण/प्रति0 के इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में तात्विक अनियमितता व क्षेत्राधिकार का सदुपयोग नहीं किए जाने का कथन करते हुये निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने और प्रार्थना पत्र प्रतिस्थापन (Transpose) स्वीकार करने का निवेदन किया। अप्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि वादी/गैर निगराकार संख्या–1, 2 के द्वारा दावा दायर किया गया है और जिन व्यक्तियों के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टि0ए0 / 3408 / 2004 / भरतपुर गेन्दा बनाम प्रेमचंद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विरुद्ध अनुतोष चाहिए उन्हें बतौर प्रतिवादी दर्ज किया गया है। वादी अपने वाद का मालिक होता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य को पक्षकार संयोजित नहीं किया जा सकता है। निगराकारान से वादी को कोई अनुतोष नहीं चाहिए। प्रतिस्थापन दो स्थितियों में ही किया जा सकता है जब 1. या तो वादी द्वारा वाद को विड्रा कर लिया जाये या 2. वाद को छोड दिया जाए (Abandon) कर दिया जाए। वर्तमान में दोनों ही स्थितियां नहीं हैं। निगराकारान का अनुतोष वादी/गैर निगराकार संख्या 1 व 2 के साथ ही है। जबाबदावे के माध्यम से ये अपना पक्ष रख सकते हैं, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इनके प्रतिस्थापन के आवेदन को अस्वीकार करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत इस आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है, निगरानी खारिज योग्य है।

योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वादी/गैर निगराकार संख्या– 1 एवं 2 द्वारा परीक्षण न्यायालय में जो वाद दायर किया गया है उसमें वर्तमान निगराकारान बतौर प्रतिवादी संख्या 10/1 से 10/2 अंकित हैं। वादपत्र में जो अनुतोष चाहा गया है उसके अनुसार प्रश्नगत आराजी में वादीगण ने स्वयं के पक्ष में 1/2 हिस्सा एवं तरतीबी प्रतिवादीगण/ वर्तमान निगराकारान के पक्ष में 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। वर्तमान निगराकारान द्वारा प्रतिस्थापन हेतु आवेदन किया है किन्तु दावे में इनका अनुतोष भी वादी के साथ ही है। AIR 2008 (NOC) 1481 (RAJ.) [Devendra Singh v. Additional District Judge, (Fast Track) No.7, Jaipur & Others] में निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया है:–

> "The transposition of a defendant as plaintiff is permitted to be made only in two eventualities. First, when where a suit is withdrawn by the plaintiff and secondly, when the plaintiff has abandoned the suit. In doing that also, the Court has to examine whether the applicant has a substantial question to be decided as against other defendants or not."

पत्रावली पर इस आशय की भी कोई साक्ष्य नहीं है कि वादी द्वारा वाद को विड्रा किया जा रहा हो या वाद को छोडा (Abandon) किया जा रहा हो। वादी के वादपत्र को यदि डिक्री किया जाता है और इसमें प्रतिवादी/निगराकारान के पक्ष में किसी प्रकार का प्रकरण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टि0ए0 / 3408 / 2004 / भरतपुर गेन्दा बनाम प्रेमचंद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	साबित होता है तो उन्हें वादपत्र के अनुसार ही अनुतोष प्राप्त हो जाएगा। वादीगण/गैरनिगराकार संख्या 1,2 द्वारा प्रस्तुत किए गए वादपत्र में प्रतिवादी/वर्तमान निगराकारान को बतौर वादी प्रतिस्थापित नहीं किए जाने से इनके हकूकों पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड रहा है और ना ही किसी सारभूति विधिक प्रश्न (Substantial question of law) का निर्धारण निगराकारान के सम्बन्ध में तय किया जाना है, क्योंकि वादी के वादपत्र के साथ ही इनका अनुतोष है, अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/वर्तमान निगराकारान को बतौर वादी प्रतिस्थापित किए जाने की अनुमति नहीं देने में किसी प्रकार की तथ्यात्मक या विधिवत भूल हमारे मतानुसार नहीं की है। निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगरानीधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः निगरानी सारहीन पाए जाने से **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	